वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 02.03.2025

कांशीराम आवासीय योजना के पार्कों का होगा जीर्णोद्धार

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को कांशीराम आवासीय योजना के पार्कों और सड़कों का निरीक्षण किया। इसमें आवासीय क्षेत्रों, अधिकारी कॉलोनी, पत्रकारपुरम के ब्लॉक ए और बी, कांशीराम पार्क फेज-1 व फेज-2 के विभिन्न हिस्सों की स्थिति का आकलन किया गया। निरीक्षण के दौरान पार्कों और सड़कों की हालत काफी खराब मिली। उन्होंने सुधार करने के निर्देश दिए।

वीडीए सचिव ने बताया कि कई पार्कों में बाउंड्रीवाल नहीं है या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उन्हें जल्द ही ठीक कराया जाएगा। पार्कों की दीवारों पर पेंटिंग, झूले, ओपन जिम इक्विपमेंट, रिवॉल्विंग गेट, और प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ कराया जाएगा। पार्कों में हरे-भरे पौधे, बैठने की समुचित व्यवस्था और बच्चों के लिए खेलकूद क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ब्यूरो

वीडीए की 4 खबरें

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं, होगी कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार को प्राधिकरण की ओर से संचालित पार्कों के उच्चीकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें महादेव नगर कॉलोनी पार्क, अशोक विहार कॉलोनी, पत्रकारपुरम कॉलोनी पार्क, कांशी राम आवासीय योजना के तीन पार्कों सहित अन्य पार्कों के कार्यों पर चर्चा हुई। वीसी ने कहा कि गुणवत्ता वाले मैटेरियल का ही प्रयोग किया जाए। कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

100 घंटे में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का नक्शा स्वीकृत

***वाराणसी।** वीडीए ने शनिवार को अल्प आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र 100 घंटे में स्वीकृत कर दिया। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि नई नीति के अंतर्गत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बना सकेंगे। कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बन सके, इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 तक रहेगा। घनत्व भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक की गई है। फोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत विकासकर्ता मेसर्स कृपया निधि होम्स पार्ट संतोष कुमार सिंह का मानचित्र पास किया गया। ब्यूरो*

अवैध निर्माण, प्लॉटिंग के खिलाफ की कार्रवाई

वाराणसी। वार्ड-दशाश्वमेध में रहमान अली भवन संख्या, 35/66-B-1 पर वीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। यहां 1200 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र पास कराए भूतल पर निर्माण कार्य हो रहा था। यहां सीलिंग की कार्रवाई की गई। रामनगर प्रकृति नगर कॉलोनी करीब 1000 वर्गमीटर में बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। वीडीए की टीम ने ध्वस्तीकरण कर सीलिंग की कार्रवाई की और नोटिस जारी की। ब्यूरो

आज–दि0 02.03.2025

विप्रा आधा दर्जन पार्कों को देगा पुनर्जीवन

वाराणसी विकास प्राधिकरण अब आधा दर्जन से अधिक पार्कों का जीर्णोद्धार करायेगा जिमसें महादेवनगर कालोनी पार्क, अशोक बिहार कालोनी ब्लाक ए, ब्लाक-बी, पत्रकारपुरम कालोनी, काशीराम आवासीय के तीनों पार्क को चयन किया गया है। इसके सुंदरीकरण और पुनर्जिवित करने के लिए शनिवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अध्यक्षता में बैठक हुई। इन्होंने निर्देश दिया कि उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का प्रयोग किया जाय जिससे कि इन पार्कों की दशा को सुधारा जा सके। इसके लिए विभाग के अभियंता गुणवत्ता की मानक और उच्चतम मानक का निरीक्षण करें। साथ ही निर्धारित समय के भीतर कार्य पुरा किया जाय। उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर के पार्कों को और अधिक सुंदर बनाने के लिए विभाग कटिबद्ध है नागरिकों के जीवनस्तर पर सुधार लाने के लिए भी कटिबद्ध है। बैठक में सचिव व्रदे प्रकाश मिश्र, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्लाटिंग पर चली जेसीबी, भवन का नवनिर्माण सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को भवन स्वामी रहमान अली भवन संख्या ३५/६६-बी-ए मौजा जंगमबाड़ी ने बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन निर्माण का शुरू कर दिया था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल की टीम ने भवन को सिल कर दिया। जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने निकटम थाने की अभिरक्षा में भवन को सील कर दिया। इसी प्रकार वार्ड रामनगर मौजा पटनवा में लगभग एक हजार वर्ग मीटर पर प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने भूमी स्वामी से प्लाटिंग की स्वीकृत कराने का कागज मांगा जिसे वह दिखाने में असमर्थ रहा। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग में हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 02.03.2025

कांशीराम आवास के पार्कों का होगा जीर्णोद्धार

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को कांशीराम आवासीय योजना के पार्कों और सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उन्होंने पाया कि पार्कों और सड़कों की हालत काफी खराब है, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही पार्कों के भी जीर्णोद्धार का निर्देश दिया।

विकास प्राधिकरण ने अवैध भवन किया सील

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान जंगमबाड़ी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्ग मीटर वर्गमीटर में जी+1 निर्मित भूतल पर भवन निर्माण कराया जा रहा था। इस मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रवींद्र प्रकाश आदि थे। इस बीच प्रकृति नगर कॉलोनी में एक हजार वर्ग मीटर में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 02.03.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में प्राधिकरण द्वारा संचालित पार्कों के उच्चीकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक किया गया। इस बैठक में महादेव नगर कॉलोनी पार्क, अशोक विहार कॉलोनी (ब्लाक-ए, ब्लाक-बी), पत्रकारपुरम कॉलोनी पार्क, कांशी राम आवासीय योजना के तीन पार्कों सहित अन्य पार्कों के उन्नयन कार्यों पर चर्चा की गई।उपाध्यक्ष ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल का ही प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और इसे समयबद्ध एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा। साथ ही, कार्यों में गति लाने के साथ-साथ उचित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।इस बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।वाराणसी विकास प्राधिकरण इस उच्चीकरण कार्य के माध्यम से शहर के पार्कों को और अधिक सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवनस्तर और सुविधाएं मिल सकें।

न्यायाधीश–दि0 02.03.2025

नगर निगम के लैंड बैंक में बढ़ा अनुमानित लागत रू0 66 करोड़ की 15 बीघा भूमि लिया कब्जे में

वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व मे आज रामनगर क्षेत्र के सुल्तानपुर मे आराजी संख्या-576 जो 13 बीघा अवैध तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त करते हुये कब्जा प्राप्त किया गया, जिसकी अनुमानित धनराशि मुल्य रु0 26 करोड़ की बतायी जा रही है, इस भूमि पर क्षेत्रीय व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके मछली पालन किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मढ़ौली मे मुख्य मार्ग पर 2 बीघा तालाब की जमीन जो आराजी संख्या-219 मौजा मढ़ौली, पर एक क्षेत्रीय व्यक्ति के द्वारा वर्ष 1995 में कूट रचित तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया था। संज्ञान में आने पर सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सम्बन्धित व्यक्ति का नाम निरस्त कराते हुये नगर निगम के नाम दर्ज कराया गया। बाजार दर के अनुसार इस दो बीघा भूमि की कीमत रु0 40 करोड़ बतायी जा रही है।

न्यायाधीश—दि0 02.03.2025

वीडीए जोन-3 ने की अवैध निर्माण की सीलबन्दी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत रहमान अली,भवन संख्या, 35/66--1, मौजा-रेहीतास बाउली कुँआ के पास, जंगमबाड़ी, थाना-दशाश्वमेध जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 1200 वर्ग मीटर वर्गमीटर में उ01 निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा मे सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश—दि0 02.03.2025

पार्कों के उच्चीकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में प्राधिकरण द्वारा संचालित पार्कों के उच्चीकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक किया गया। इस बैठक मे महादेव नगर कॉलोनी पार्क, अशोक विहार कॉलोनी (ब्लाक-ए, ब्लाक-बी), पत्रकारपुरम कॉलोनी पार्क, कांशी राम आवासीय योजना के तीन पार्कों सहित अन्य पार्कों के उनन्यन कार्यों पर चर्चा की गई।उपाध्यक्ष महोदय ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल का ही प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य मे किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और इसे समयबद्ध एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा। साथ ही, कार्यों में गति लाने के साथ-साथ उचित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।इस बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।वाराणसी विकास प्राधिकरण इस उच्चीकरण कार्य के माध्यम से शहर के पार्कों को और अधिक सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवनस्तर और सुविधाएं मिल सकें।